रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229539 CG-DL-E-10092021-229539

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509] No. 509] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

# वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

### आय-कर

सा.का.नि. 623(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (X) के परंतुक के खंड (XI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थातु:--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (28वाँ संशोधन) नियम, 2021 है।
  - (2) ये 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होंगे और निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागु होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 11पकग के खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
  - "(4) सामरिक अपविनिधान के अधीन, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त पब्लिक सेक्टर कंपनी की कोई जंगम संपत्ति, जो साधारण शेयर है।

5042 GI/2021 (1)

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, 'सामरिक अपविनिधान' का वही अर्थ होगा, जो धारा 72क की उप-धारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में है ।"।

[अधिसूचना सं. 105/2021/फा. सं. 370149/158/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. सं 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित हुए थे और आय-कर (27वाँ संशोधन) नियम, 2021, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 616(अ), तारीख 6 सितंबर, 2021 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2021

#### **INCOME-TAX**

- **G.S.R.** 623(E).—In exercise of the powers conferred by clause (XI) of the proviso to clause (x) of sub-section (2) of section 56 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: –
- 1. Short title and commencement:-(1) These rules may be called the Income-tax  $(28^{th}$  Amendment) Rules, 2021.
  - (2) They shall come into force from the 1<sup>st</sup> day of April, 2022 and shall be applicable for the assessment year 2022-23 and subsequent assessment years.
- **2.** In the Income-tax Rules, 1962, in rule 11UAC, after clause (3), the following clause shall be inserted, namely:
  - "(4) any movable property, being equity shares, of the public sector company, received by a person from the Central Government or any State Government under strategic disinvestment.

**Explanation**—For the purpose of this clause, 'strategic disinvestment' shall have the same meaning as assigned to it in clause (iii) of *Explanation* to clause (d) of sub-section (1) of section 72A.".

[Notification No. 105/2021/F. No. 370149/158/2021-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and last amended by the Income-tax (27<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2021, *vide* notification number G.S.R. 616(E) dated 6<sup>th</sup> September, 2021.